# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 04/2024 GCMS No.—2024/52

मायना पत्नी मोहम्मद सलीम जाति मुसलमान निवासी ग्राम उदयपुर गिलारियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर जोन–जगतपुरा, जयपुर।
2. इमामुद्धीन पुत्र बेली मोहम्मद (फौत)

2/1. शब्बीर खान पुत्र इमामुद्धीन
2/2. मोना उर्फ मुन्नुद्धीन पुत्र इमामुद्धीन
2/3. जिब्बो पुत्री इमामुद्धीन

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम उदयपुर गिलारियां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

---

निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत खारिज किये जाने आदेश दिनांक दिनांक 17.12.1981 संकल्प संख्या 5 पट्टा संख्या 75

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।

निर्णय दिनांकः 18.07.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति सांगानेर के आदेश दिनांक 17.12.1981 की पालना में गैर निगरानीकार संख्या 2 इमामुद्धीन पुत्र बेली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम उदयपुर गिलारियां, तहसील सांगानेर के पक्ष में पट्टा संख्या 75 जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर दिनांक 05.09.2024 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या–एक की ओर से श्री राजेश कुमार गुर्जर अधिवक्ता उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/3 को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए, अप्रार्थी संख्या 2/1 लगायत 2/3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। उपायुक्त नगर निगम जोन जगतपुरा से प्राप्त जवाब अनुसार निगरानीधीन पट्टा पत्रावली नगर निगम कार्यालय में अनुपलब्ध है। पत्रावली अन्तिम बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस उपस्थित विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

योग्य अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि विपक्षी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत जयपुरा के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया जिसकी आड में विपक्षी संख्या 2 निगरानीकार की कयशुदा भूखण्ड पर निगरानीधीन पट्टे के आधार पर कब्जा करना चाहते जबकि निगरानीकार का पट्टा भूमि खसरा नंबर 121 में स्थित

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

है, जो गै0मु0आबादी है जिस पर प्रार्थी पुख्ता मकान, बाउण्ड्रीवाल बनाकर आबाद है। निगरानीकार द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के वारिसान को अनेको बार समझाया परन्तु वो नित नये वाद विवाद प्रार्थी के भूखण्ड के संबंध में करते रहते है जिससे व्यथित होकर माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की गयी है। निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत राज नियम 1961 के नियम 266 के प्रावधानो के विपरीत जाकर जारी किया गया है। निगरानीधीन निर्णय पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने किसी प्रकार का कोई आवेदन नहीं लिया एवं ना ही मौके का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर चारागाह भूमि में निगरानीधीन पट्टा जारी किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त विवादित भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या 2 ने जयपुर विकास प्राधिकरण ट्रिब्यूनल के समक्ष रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 213/06 प्रस्तुत किया जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 16.05.2006 के आधार पर यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि तथाकथित पट्टा खसरा नंबर 120 की सीमा में आता है जो कि चारागाह भूमि है। ऐसी स्थिति में चारागाह भूमि में दिया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 के पुत्र गैर निगरानीकार संख्या 2/1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में भी वाद प्रस्तुत किया जो माननीय सिविल न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। इसलिए निगरानीकार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष बिना किसी देरी के निगरानीधीन पट्टे के विरूद्ध निगरानी पेश की गयी है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा के संकल्प संख्या 5 द्वारा आदेश दिनांक 17.12.1981 से गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता नगर निगम द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार सांगानेर जोन से प्राप्त रिकॉर्ड अनुसार ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 के हक में जारी पट्टे की पत्रावली एवं निगरानीकार के नाम से जारी पट्टे की पत्रावली अनुपलब्ध है। निगरानीकार द्वारा समयबाधित कर निगरानी प्रस्तुत की गयी है जो कि समयावधि में नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा जारी निगरानीधीन पट्टा पत्रावली निगम कार्यालय में अनुपलब्ध है ऐसी स्थिति में पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जना उचित समझते है। पंचायत राज अधिनियम 1994 व नियम 1996 में निहित प्रावधानों में मियाद के बिन्दु पर कोई अवधारणा निर्धारित नहीं की गयी है। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि गैर निगरानीकार संख्या 2 की पत्नी हाजरा बेवा इमामुद्दीन द्वारा निगरानीधीन पट्टे के संबंध में न्यायालय सदस्य अपीलीय अधिकरण जविप्रा जयपुर में रेफरेन्स पेश किया गया। प्रभारी अधिकारी जेडीए द्वारा रेफरेन्स प्रकरण में प्रस्तुत जवाब अनुसार गैर निगरानीकार संख्या 2 के वारिसान जिस भूखण्ड पर बैठे है वह खसरा नंबर 120 किस्म चारागाह जविप्रा के स्वामित्व की भूमि है जिस पर ग्राम पंचायत को न ही प्रार्थीया को आवंटन/कब्जा करने कोई अधिकार नहीं है। उपायुक्त जोन

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

10 के आदेश क्रमांक 11.05.2006 की पालना में विवादित भूमि के संबंध में किये गये मौका निरीक्षण की रिपोर्ट अनुसार विवादित पट्टे की भूमि खसरा नंबर 120 में स्थित है। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यो अनुसार निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा बिस्मिल्लाह को सन् 1967 में दिये गये पट्टे को जरिये रजि0 विक्रय पत्र क्रय किया है एवं वर्तमान में उक्त पट्टे की भूमि पर मकान बनाकर काबिज है एवं गैर निगरानीकार संख्या 2 के वारिसान निगरानीधीन पट्टे की आड में निगरानीकार की क्रयशुदा पट्टे की भूमि के संबंध में विवाद करते रहते है। निगरानीकार द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (दक्षिण) जयपुर महानगर प्रथम में गैर निगरानीकार संख्या 2/1 द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या 22/2012 बउनवानी शब्बीर बनाम सलीम में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 की प्रमाणित छायाप्रति पेश की गयी। गैर निगरानीकार संख्या 2/1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावा निर्णय दिनांक 07.09.2021 को खारिज किया जा चुका है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.09.2021 में निगरानीकार के क्रयशुदा भूखण्ड पर गैर निगरानीकार संख्या 2/1 का कब्जा या अधिकार नहीं मानते हुए गैर निगरानीकार संख्या 2/1 का वाद खारिज किया गया। निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रथम दृष्टया गैर निगरानीकार संख्या 2 को ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा आदेश दिनांक 17.12.1981 द्वारा निगरानीधीन पट्टा ग्राम उदयपुर गिलारियां स्थित खसरा नंबर 120 किस्म चारागाह भूमि में से जारी किया जाना प्रतीत होता है। ग्राम पंचायत को चारागाह भूमि में पट्टा दिये जाने का विधिक अधिकार नहीं है इसलिए विचाराधीन प्रकरण में ग्राम पंचायत जयपुरा द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 2 को जारी निगरानीधीन पट्टा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया जाना जाहिर होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत जयपुरा, पंचायत समिति सांगानेर द्वारा जारी संकल्प सं. 5 से निर्णय लेते हुये गैर निगरानीकार संख्या 2 इमामुद्धीन पुत्र बेली मोहम्मद निवासी ग्राम उदयपुर गिलारियां, तहसील सांगानेर के हक में आदेश दिनांक 17.12.1981 द्वारा जारी पट्टा संख्या 75 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु उपायुक्त जोन जगतपुरा, नगर निगम ग्रेटर को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर